

प्रेषक

निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्ष, हरियाणा।

सेवा में

1. मुख्य वास्तुकार,
वास्तुकला विभाग, हरियाणा।
2. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें, चण्डीगढ़।

यादि क्रमांक— भवन/मकान अलाटमैन्ट/पालिसी/ बी 1
दिनांक – 13.07.2004

विषय – विकलांगों के लिए विभाग का वर्ष 2004–05 के एक्शन प्लान कार्यवाही करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि एक्शन प्लान डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार सभी सरकारी संस्थानों में विकलांग छात्र / छात्राओं हेतु रैम्पस का प्रबन्ध किया जाए ताकि विकलांगछात्र/ छात्राओं को असुविधा न हो।

सहायक निदेशक (भवन)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक – भवन/ मकान अलाटमैन्ट/ पालिसी/ बी 1 दिनांक – 13.07.2004

उपरोक्त की एक प्रति सभी अधीस्थ कार्यालयों को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक (भवन)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

प्रेषक

निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्ष, हरियाणा।

सेवा मे

सभी उप- कार्यालय
हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक- भवन/आर टी आई एक्ट/992- बी
दिनांक - 17.06.2010

विषय - Physical Handicapped Persons के लिए Toilet विभाग की व्यवस्था करने बारे।

आपको आदेश दिए जाते हैं कि आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यदि Physical Handicapped Persons के लिए English Type Toilet नहीं है तो उन्हें शीघ्रतिशीघ्र भवन फण्ड से बनवाए तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाए।

सहायक निदेशक (भवन)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा